न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2740–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–08–2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ जिला दतिया प्रकरण कमांक 32/अपील/2013–14

.....

विजयराम तनय श्री बैजनाथ अहिरवार
निवासी–ग्राम धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया म0प्र0,

..... आवेदक

विरूद्ध

1. नाथूराम तनय तुलसी अहिरवार
2. रामचरा तनय तुलसी अहिरवार
निवासी– ग्राम धीरपुरा तहसील इन्दरगढ़
जिला दतिया म0प्र0,

..... अनावेदकगण

.....

श्री डी0एस0 कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15–7–2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी इन्दरगढ़ जिला दतिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा ग्राम खाईखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 221, 371 एवं 373 कुल रकबा 3.02 का वर्ष 2001 से 2005 तक खसरा में हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु न्यायालय तहसीलदार इन्दरगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29–6–2013 से आवेदक द्वारा प्रस्तुत त्रुटि सुधार आवेदन पत्र स्वीकार किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दिनांक 30–12–2013 प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक (इस प्रकरण में आवेदक) एवं अभिलेख तलब किया। दिनांक 07–5–2014 को आवेदक द्वारा धारा 5 के संबंध में जबाव पेश किया, जिसपर उभय पक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक 20–8–2014 को अनुविभागीय अधिकारी ने अपील समय–सीमा में मानकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत कर बताया कि दिनांक 14–06–2013 को उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात तहसीलदार द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20–6–2013 पेशी नियत की थी। दिनांक 20–6–2013 को अनावेदक अभिभाषक उपस्थित थे तथा उसी दिनांक को प्रकरण आदेशार्थ नियत किया जाकर आदेश हेतु पेशी दिनांक 29–6–2013 को अनावेदक अभिभाषक उपस्थित थे तथा उसी दिनांक को प्रकरण आदेशार्थ नियत किया जाकर आदेश हेतु पेशी दिनांक 29–6–2013 नियत की तथा 29–6–2013 को ही आदेश पारित किया गया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अनावेदक को तहसीलदार के आदेश की जानकारी नहीं थी। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार को आदेश के 5 माह विलम्ब से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रेषित की गई थी जो कि प्रथमदृष्टया समय बाधित होने से निरस्त

किये जाने योग्य थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मान्य करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पांच माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किया फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय–सीमा में मानने में त्रुटि की है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि तहसीलदार ने अनावेदक को सुनने के पश्चात वर्ष 1995 से 2000 के बीच का रिकार्ड पेश करने हेतु पटवारी को निर्देशित किया था तथा पेशी दिनांक 20–6–2013 नियत की थी। अनावेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण में कार्यवाही की गई है, उसे पेशी नोट नहीं कराई तथा कार्यवाही जानकारी नहीं दी। विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुये प्रकरण में कार्यवाही की गई है, अतः जानकारी दिनांक से अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को समयावधि के बिन्दु पर सुनवाई करने के पश्चात ही अपील को ग्राह्य किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पत्रिका में पारित किया गया आदेश दिनांक 29–6–2013 किसी पक्ष द्वारा नोट नहीं किया गया तथा पक्षकार को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश कब नोट कराया गया जानकारी प्रकरण में संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने उनके न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील को समयावधि के भीतर मानने का आदेश दिया है, जो त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। वैसे भी अभी प्रकरण में गुण–दोषों पर कार्यवाही होना है अतः अनुविभागीय अधिकारी के अपील समयावधि में मानने संबंधी आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न

करते हुये इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दे तथा यदि कोई पक्ष किसी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है एवं यदि प्रकरण के निराकरण हेतु वह साक्ष्य आवश्यक हो तो उसे भी ग्रहण कर विधि अनुकूल आदेश पारित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर